

"मुझे अखबार निकालने दो तो मैं इस बात की परवाह नहीं करता कि कौन धर्म का नियामक है और कौन कानून का निर्माता"—वेडेल फिलिप्पा

दैनिक भारतीय बस्ती

बस्ती 9 दिसम्बर 2024 सोमवार

सम्पादकीय

किसान आन्दोलन और सरकार

एक बार फिर किसान अपनी मांगों के साथ आंदोलन करने सड़क पर उतर आए हैं। साफ है कि यह प्रश्न और उससे उपजी स्थितियों के प्रति सरकार बहुत ज्यादा सरोकार नहीं रखती। वरना क्या वजह है कि लंबे समय से अपने सवालों पर किसानों के सामने आंदोलन के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता है और सरकार इस मसले पर कोई हल निकालने के आश्वासन से आगे कुछ ठोस करती नहीं दिखती। क्या सरकार की नजर में किसानों के मुद्दे विचार के लायक नहीं हैं या फिर वह इसे सुलझाने के लिए ईमानदारी से कुछ करना नहीं चाहती!

गौरतलब है कि पंजाब और हरियाणा की शंभू सीमा से एक सौ एक किसानों के जंथे ने शुक्रवार को दिल्ली के लिए पैदल मार्च करना शुरू किया था, लेकिन वहां उन्हें पुलिस ने निषेधाज्ञा लागू होने का हवाला देकर रोक दिया। इसके बाद हुए हंगामे के बीच पुलिस ने आसू गैस के गोले छोड़े, जिसमें कुछ किसानों के घायल होने की खबर आई। सिलिहाल किसानों ने जंथे को रोकने की बात कही है। कई इलाकों में इंटरनेट भी निलंबित किया गया। जाहिर है, किसान और सरकार फिर आमने-सामने हैं। किसान एमएसपी के अलावा कर्ज माफी, किसानों एवं खेत मजदूरों के लिए पेंशन और बिजली दरों में बड़ोतरी न करने की मांग कर रहे हैं। वे 2021 की लब्धीमपूर खीरी हिसा के पीछितों के लिए न्याय, भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 को बहाल करने और 2020-21 में पिछले आंदोलन के दौरान मारे गए किसानों के परिवारों को मुआवजा दिए जाने की भी मांग कर रहे हैं।

हालांकि किसानों के प्रदर्शन के बीच राज्यसभा में सरकार की ओर से इस बात का भरोसा दिलाया गया है कि वह सभी कृषि उपज को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदेगी। दरअसल, कर्जमाफी, किसान और खेत मजदूरों के लिए पेंशन और बिजली की दरों में बड़ोतरी न करने के अलावा किसानों की एक मुख्य मांग न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी लागू करने को लेकर है। इस लिहाज से सरकार की घोषणा महत्वपूर्ण है। मगर क्या केवल आश्वासनों के बूते समस्या का समाधान निला जा सकता है? यह समस्या मुश्किल है कि किसानों की मांगों में न्यूनतम समर्थन मूल्य का सवाल पिछले कई वर्षों से बना हुआ है, मगर अब भी सरकार की ओर से कोई स्थायी हल निकालने के बजाय व्यावहारिक कदम उठाने का सिर्फ भरोसा दिया जाता है। जबकि तीन कृषि कानूनों के मुद्दे पर महीनों चले आंदोलन के समय भी इस समस्या के समाधान का आश्वासन दिया गया था। यही वजह है कि किसान अब इस मसले पर कानूनी गारंटी चाहते हैं।

हालांकि किसानों के प्रदर्शन के बीच राज्यसभा में सरकार की ओर से इस बात का भरोसा दिलाया गया है कि वह सभी कृषि उपज को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदेगी। दरअसल, कर्जमाफी, किसान और खेत मजदूरों के लिए पेंशन और बिजली की दरों में बड़ोतरी न करने के अलावा किसानों की एक मुख्य मांग न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी लागू करने को लेकर है। इस लिहाज से सरकार की घोषणा महत्वपूर्ण है। मगर क्या केवल आश्वासनों के बूते समस्या का समाधान निला जा सकता है? यह समस्या मुश्किल है कि किसानों की मांगों में न्यूनतम समर्थन मूल्य का सवाल पिछले कई वर्षों से बना हुआ है, मगर अब भी सरकार की ओर से कोई स्थायी हल निकालने के बजाय व्यावहारिक कदम उठाने का सिर्फ भरोसा दिया जाता है। जबकि तीन कृषि कानूनों के मुद्दे पर महीनों चले आंदोलन के समय भी इस समस्या के समाधान का आश्वासन दिया गया था। यही वजह है कि किसान अब इस मसले पर कानूनी गारंटी चाहते हैं।

यह जगजाहिर है कि सरकार और किसानों के बीच खीटावत जो से हालात पैदा होते हैं, उससे आम लोग भी बुरी तरह प्रभावित होते हैं। किसानों के दिल्ली कूच करने या फिर उन्हें आगे बढ़ने से रोकने के लिए पुलिस की ओर से किए इंतजामों की वजह से सड़कें बाधित होती हैं। इसका खमियाजा वैसे तमाम लोगों को गुथना पड़ता है, जो अपने जरूरी काम से रोज़ की ओर जा रहे होते हैं। सरकार यह सफाई दे सकती है कि आम लोगों का रास्ता किसानों के आंदोलन की वजह से बाधित होता है, लेकिन आखिर किसानों को बार-बार सड़क पर उतरने की नौबत क्यों आती है?

क्या सरकार और आंदोलनकारी किसानों की ओर से ऐसे उपाय नहीं किए जा सकते कि रास्ता और आम लोगों की आवाजाही बाधित न हो? सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है कि किसानों को अपनी मांग रखने का हक है, लेकिन आम लोगों को परेशानी नहीं होनी चाहिए। दिल्ली में कोई ऐसे जिगह निर्धारित की जा सकती है, जहां किसान भी अपने मुद्दों के साथ प्रदर्शन कर सकें। मगर सबसे ज्यादा जरूरी यह है कि सरकार अब किसानों की मांगों को लेकर अपनी ईमानदार इच्छाशक्ति दिखाए और सबकी सहमति पर आधारित कोई स्थायी हल निकाले। लोकतंत्र में सबको अपनी मांगों को लेकर ध्यानकर्षण का अधिकार है और किसी वर्ग को इससे वंचित नहीं किया जाना चाहिये।

—योगेन्द्र योगी—

संविधान का दुरुपयोग केंद्र में हर दल की सरकार ने करने की भरसक कोशिश की है। इंदिरा गांधी ने अपनी सत्ता बचाने के लिए देश में आपत्काल लगा दिया। संविधान की संरक्षण बज्जियां उड़ाने का ऐसा मंजर भारत में कभी देखने को नहीं मिला। 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान पारित किया गया और अपनाया गया। इस दिन को संविधान दिवस या राष्ट्रीय कानून दिवस के रूप में जाना जाता है। डॉ. भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि भारत का संविधान व्यावहारिक, लचीला, और मजबूत है। संविधान में हर समस्या का समाधान है। संविधान भारतीय लोकतंत्र की आत्मा है। इसके बावजूद आजादी के बाद से केंद्र हो या राज्यों की सरकारें, सभी ने संविधान में मौजूद कानूनों को अपने राजनीतिक फायदों के लिए इस्तेमाल करने में कसर बाकी नहीं रखी। राजनीतिक दलों की सत्ता लोचलता के कारण संविधान काफी हद तक कागज का पुलंदा बन कर रह गया। राजनीतिक दलों की मनमानी का आलम ही है कि देश आज भी संस्था, असमानता, अपराध, जनसंख्या बढ़ोतरी, पर्यावरणीय समस्या और बुनियादी सुविधाओं की कमी से जूझ रहा है।

संविधान का दुरुपयोग केंद्र में हर दल की सरकार ने करने की भरसक कोशिश की है। इंदिरा गांधी ने अपनी सत्ता बचाने के लिए देश में आपत्काल लगा दिया। संविधान की संरक्षण बज्जियां उड़ाने का ऐसा



मंजर भारत में कभी देखने को नहीं मिला। इसके बाद केंद्र में लंबे अरसे तक शासन में रही कांग्रेस की सरकार ने संविधान के दुरुपयोग में कोई कसर बाकी नहीं रखी। राज्यों की सरकारों को बर्खास्त करने के लिए आर्टिकल 356 का जमकर दुरुपयोग किया गया। इंदिरा गांधी ने आर्टिकल 356 का 50 बार दुरुपयोग किया। शहीदी गांधी ने विपत्ती और क्षोभ दलों की सरकारों को गिरा दिया। कल में वामपंथी सरकार चुनी गई, जिसे नेहरू पसंद नहीं करते थे, उसे गिरा दिया गया। करुणामणि जैस दलगाओं की सरकारें गिरा दी गई। कुल 90 बार चुनी हुई सरकारों को गिराया गया। कांग्रेस सरकारों ने डीएमके और वामपंथी सरकारों को गिराया। बदलते-बदलते संविधान के कानूनों को अपनी सुविधा के हिसाब से बदलने और लागू करने का काम

सिर्फ कांग्रेस ने ही नहीं किया, बल्कि केंद्र में शासन में आने के बाद भाजपा भी इसमें पीछे नहीं रही। सर्वोच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में संविधान के 99वें संशोधन को राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (एनजेएसी) अधिनियम को असंवैधानिक करार देते हुए इसे निरस्त कर दिया और उच्च न्यायालयों तथा सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए पुरानी कोलेजियम प्रणाली को बहाल कर दिया।

देश के लोगों की सोशल मीडिया के जरिए अभिव्यक्ति और असहमति के अधिकार को केंद्र और राज्यों के नुकलने की कोशिश को सुप्रीम कोर्ट ने नाकाम कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने आईटी एक्ट की धारा 66 ए को असंवैधानिक करार दिया। अदालत ने सभी राज्यों के पुलिस महानिदेशकों और गृह सचिवों को यह सुनिश्चित

करने के लिए कई निर्देश जारी किए कि सभी लिखित मामलों से धारा 66 ए का संदर्भ हटा दिया जाए। कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि प्रकाशित आईटी अधिनियम के बेयरएक्ट्स को पाठकों को पर्याप्त रूप से सूचित करना चाहिए कि धारा 66 ए को अमान्य कर दिया गया है। इस धारा में यह प्रावधान था कि सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक, उत्तेजक या भ्रमपूर्ण भड़काने वाली सामग्री डालने पर व्यक्ति को गिरफ्तारी किया जा सकता है, लेकिन शीर्ष अदालत ने इस कानून को संविधान के अनुच्छेद 19.1 ए के तहत बोलने के अभिव्यक्ति की आजादी के मौलिक अधिकार के खिलाफ बताकर निरस्त कर दिया था।

आरक्षण को लेकर सभी राजनीतिक दल वोटों की राजनीतिक करते रहे हैं। आरक्षण के सही प्राव

धानों को लागू करने में भी नेताओं को वोटों का उर सताता रहा है। यही वजह रही है कि आरक्षण के फायदे-नुकसान पर कोई दल किसी तरह की चर्चा तक करने को तैयार नहीं होता। आरक्षण को लेकर राजनीतिक दलों ने संविधान से छेड़छाड़ करने में कसर बाकी नहीं रखी। मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अगुआई वाली सुप्रीम कोर्ट की सात जजों की बेंच ने अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के कोटे में कोटा दिए जाने को मंजूरी दी थी। उस दौरान कोर्ट ने कहा था कि एसीसी-एसटी कैटेगरी के भीतर नई सत्त कैटेगरी बना सकते हैं और इसके अलावा अति पिछड़े तबकों को असल से रिजर्वेशन दे सकते हैं। इसको लेकर पीएम नरेंद्र मोदी से संसद भवन में 100 दलित सांसद मिले। इसके बाद केंद्र ने इसकी घोषणा भी कर दी कि जरूरत पड़ी तो संसद में विवेक लया जाएगा, पर आरक्षण के मौजूदा प्रावधानों में कोई बदलाव मंजूर नहीं होगा। हालांकि दलितमाला और कर्नाटक ने सुप्रीम कोर्ट के कोटे में कोटा के निर्णय पर अमल का फैसला किया।

इतना ही नहीं संविधान से इतर करार राज्यों की सरकारों ने भी वोटों की राजनीतिक के लिए आरक्षण को हथियार बनाने के प्रयासों में कसर बाकी नहीं रखी। हां, कुछ राज्यों ने निजी क्षेत्र में स्थानीय लोगों के लिए आरक्षण देने का कानून बनाया है। संविधान के कानूनों का जब तक निष्पक्षता से पालन नहीं किया जाएगा तब तक स्थानीय विदस जैसे प्रयास देश की मौजूदा समस्याओं के समक्ष मुंह चिढ़ाने जैसे ही रहेंगे।

दावों और हकीकत के बीच का भ्रम जाल

—तनवीर जाफरी—

बावजूद इसके कि मेडिकल साइंस काफी तरक्की कर चुकी है और नित्य होने वाले अनुसंधानों ने लगभग सभी रोगों के क्षेत्र में सकारात्मक परिणाम भी दिये हैं। यहाँ तक कि कैंसर नामक सबसे घातक बीमारे के क्षेत्र में भी हुये अनेक नए शोध व अनुसंधानों ने कैंसर के मरने को इलाज में भी सकारात्मक परिणाम हासिल किये हैं। उसके बावजूद अभी भी कैंसर को दुनिया के सबसे खतरनाक व जानलेवा मर्ज़ों के रूप में गिना जाता है। निश्चित रूप से कीमियोथेरेपी में निरंतर आ रहे सुपाओं की कारण बचपन में होने वाले कैंसर के बाद जिंदा रहने वालों का रंग में बड़ोतरी हुई है। यह अमेरिका में एक आँसूतन 80: या उससे ज्यादा है। हालांकि, दूसरे कैंसर के मामलों में रोग का निदान न होने से हालात अब भी बेहतर नहीं हुए हैं। यही वजह है कि अभी भी वैज्ञानिक कैंसर की अनुसंधान वजहों और कैंसर कोशिकाओं के खस लक्षणों के बारे में ज्यादा जानने की कोशिश में जुटे हैं। खासतौर पर जब कोई मर्ज़ चौथे स्तर के कैंसर से जूझ रहा होता है तो उसके स्वास्थ्य सुचारु की समावना बेहद कम हो जाती है।

परन्तु हमारे देश में इस खतरनाक मर्ज़ का इलाज करने के लिये भी विभिन्न स्तरों पर तरह तरह के दावे धुंध किये जाते हैं। कैंसर का इलाज निश्चित रूप से मंगा इलाज है। इसलिए जब किसी गंभीर परिवार का सदस्य कैंसर का शिकार हो जाता है और वह वनगमन के चलते इलाज मेडिकल उपचार नहीं करा सकता तो ऐसे गरीब लोगों का इलाज करने के नाम पर लोगों का नेटवर्क पूरे देश में सक्रिय है। कोई जड़ी बूटियों से कैंसर का इलाज करने का दावा करता है तो कोई गंमूय या इससे बने वड़ाया बतकर अपना धना चला रहा है। कोई झाड़ूफूस में कैंसर का निदान बताता है। हमारे देश में तमाम अनपढ़ अशिक्षित किस्म के लोग और वैद हकीमी का दावा करने वाले अनुकानेक नीम हड्डि कैंसर से जुझने वाले मरीजों को गुमराह करने में लगे रहते हैं। इन्हीं मरीजों में कई ऐसे भी होते हैं जो धन संपन्न होने के कारण अपना मेडिकल इलाज भी कराते रहते हैं साथ ही अपने विश्वास के अनुरूप साथ तरीके के इलाज भी करते रहते हैं। दरअसल जो भी देश का एक बड़ा वर्ग आज कि जगह पर पढ़ा-लिखा नहीं है, जिसके कारण मरीज अक्सर डॉक्टर से सलाह लेने



के बजाय हर्बल नुस्खों का सहारा लेते हैं। परन्तु ऐसे मामलों में दिक्कत तब खड़ी हो जाती है जब एलोपैथी के इलाज से स्वास्थ्य लाभ पाने वाला मरीज अपने आरोग्य लाभ का श्रेय एलोपैथी प्रणाली या मेडिकल साइंस को देने के बजाये अथवा देखी इलाजों या उपायों अथवा प्रकृतिक स्रोतों को देने लगता है। खासकर समाज के लिये उस समय अस्मरन्धर की स्थिति उत्पन्न हो जाती है जब इस तरहके दावे किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति,जगप्रतिनिधि अथवा यशस्वी व्यक्ति द्वारा किये जाते हैं।

दरअसर के लोच पर पिछले दिनों पूर्व किंग्देवर व कांग्रेस के नेता नरजोति सिंह सिद्धू द्वारा अपने अतुल्य स्थित आवास पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर यह दावा किया गया कि —परन्तु की नीम पत्रोत कौर सिद्धू जोकि खुद भी एक डॉक्टर हैं,ने अपने आहार में कुछ चीजें शामिल करके स्ट्रेज चार के लाईजन्स करके जैसे मर्ज़ पर काबू पा लिया है। सिद्धू ने यह घोषणा की कि उनकी पत्नी अब कैंसर से मुक्त हो चुकी है। सिद्धू के अनुसार चुकि उनकी पत्नी के आहार में नैचू पानी, कच्ची हददी, सेब का सिरका, नीम की पत्तियां, तुलसी, कद्दू, अमर, आंवला, कुन्दर और अमरचोरे जैसी चीजें शामिल थीं, जिससे वह स्वस्थ हो गईं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में किये गये सिद्धू के इन दावों के बाद से ही यह सवाल उत्पन लगा था कि क्या कच्ची हददी, नैचू पानी और नीम की पत्तियां जैसी सामान्य आयुर्वेदिक चीजों से भी कैंसर जैसे मर्ज़ से मुक्ति पाई जा सकती है ? सिद्धू की इन दावों आन्वेषिकता पूर्ण प्रेस वार्ता के बाद सोशल मीडिया पर सिद्धू के दावों को लेकर बहस छिड़ी तो आधिकार दाता मेमोरियल अस्पताल को 262 कैंसर विशेषज्ञों समेत अनेक पूर्व कैंसर विशेषज्ञों को सामने आना पड़ा। इन सभी कैंसर विशेषज्ञों सिद्धू के दावों से पूर्ण तरह अस्वहन्ति जैसा कि वेदायों के कैंसर कैंसर का समर्थन करने का कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। इन कैंसर विशेषज्ञों

ने लोगों से अपील की की कि वे अप्रामाणिक उपचारों का पालन न करें और अपने इलाज में देखी न करें। बल्कि, यदि किसी को अपने शरीर में कैंसर के भी लक्षण महसूस होते हैं, तो उनको डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। और यह सलाह भी एक कैंसर विशेषज्ञ से लेनी चाहिए।

इससे पहले स्वयं प्रदेश की पूर्व सांसद प्रज्ञा ठाकुर जोकि वर्य कैंसर से पीडित थी और कैंसर विशेषज्ञों के उपचारबिनी थीं। ऐसे हुए उन्हे दाव इलाज से आर्थिक स्वास्थ्य लाभ मिला तो उन्होंने इसका श्रेय मेडिकल उपचार को देने के बजाये शरीर पर हथ्हा फेरने को दे दिया। प्रज्ञा ठाकुर ने बाकायदा ही की कैंसर के सामने गाया पर हथ्हा फेर कर यह भी बलाया कि स्वास्थ्य लाभ पावे के लिखे गाया पर हथ्हा फेरने का सही तरीका क्या है ? इस तरह के निराधार दावे यदि आम लोगों की तरफ से किये जाएँ तो भले ही लोग उस पर तवज्जोह न दें परन्तु यह यही बादा किसी सेलेब्रिटी द्वारा की जाने उरंगे तो आम लोगों में ऐसे दावों पर चर्चा होना स्वाभाविक है। समाज में ऐसे दावों को लेकर केवल चर्चा ही नहीं होती बल्कि ऐसे सेलेब्रिटी के अनेक प्रसंस्क भी उन अप्रामाणित दावों के पीछे चल पड़ते हैं। वे ऐसे दावों पर खुद विश्वास इलाज के चक्करों में पड़कर सही समय पर शुरू होने वाले उपचक्र अंतर्गत लडाकू सेना को सहभावा करके हैं। यह कदम बहुत ही हानिकारक हो सकता है। क्योंकि कैंसर का इलाज तभी सफल है जबकि इसका इलाज सही समय पर शुरू कर दिया जाये।

इलाज के चक्करों में पड़कर सही समय पर शुरू होने वाले उपचक्र अंतर्गत लडाकू सेना को सहभावा करके हैं। यह कदम बहुत ही हानिकारक हो सकता है। क्योंकि कैंसर का इलाज तभी सफल है जबकि इसका इलाज सही समय पर शुरू कर दिया जाये। 1992 में एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए महिलाओं को स्पैरल ब्रैस के अंतर्गत लडाकू सेना को सहभावा प्रदान करने वाली शाखाओं जैसे कि सल्लाई, आईसीन, शिफा, सिप्रल, न्याय प्रणाली, इंजीनियर, इंटीलीजें जैसे विभागों में शाट्स संसद कमिन्ड अधिकारियों के तौर पर सती कर्नी शुरू कर दी। वर्ष 1993 के प्रथम बैच में 25 महिला अधिकारियों ने

सेना में महिलाओं की भागीदारी

—ब्रिगे. कुलदीप सिंह काहलॉ (रिटा.)

पिछले कुछ दिनों से सैन्य कल्याण और महिला सैनिकों से संबंधित 2 बड़ी खबरें पढ़ने को मिलीं। पहली 26 नवम्बर को एक जनरल आफिसर कमांडिंग इन चीफ (जी.ओ.सी. इन सी.) की ओर से पंजाब के मुख्यमंत्री को प्रकाशित की गई विधि थी। दूसरी खबर 1 दिसम्बर को एक कोर कमांडर की ओर से अपने जी.ओ.सी. इन सी. को लिखी विधि में संबंधित जी.ओ.सी. का विषय बनी। सेना के आरंभिक प्रशिक्षण के समय हमें यह दृढ़ निश्चय करवाया जाता है कि हथियार को खोलना या फिर उसे जोड़ते समय जो हिस्सा बाएं में खुलता है वह पहले खुलना है। दोनों पक्ष सेना के साथ संबंधित होने के कारण मेरी एक कैसर विशेषज्ञ की सेना में भागीदारी की ओर चल पड़ी। हो सकता है कि पहले विषय को कुछ दिनों बाद कलमबद्ध किया जाए।

लेफ्टिनेंट जनरल राजीव पुरी जी.ओ.सी. पनागढ़ कोर कमांडर ने अपनी पूर्वी कमान के जी.ओ.सी. इन सी. ले. जनरल वर चंद्र तिवारी को महिला कमांडइंग अधिकारियों (सी.ओ.) के बारे में श्रद्धांता जाहिर करते हुए एक डी.ओ. लेटर लिखा। कोर कमांडर ने अपनी कमांड के अंतर्गत 8 कमांडिंग अधिकारियों (महिलाओं) की कार्रजाजरी के बारे में की गई संस्थाओं के आधार पर जो तथ्य मुख्य रूप से सामने आए उनका जिक्र करते हुए कुछ इस तरह लिखा गया, "महिला सी.ओ. के कमांड करने वाली योग्यता, डिप्लो में परस्पर हार और सम्पर्क की कमी।"

यहां तक कि यूनिट हित में निर्यात लेने के समय वरिष्ठ पुरुष अधिकारियों को भी भरोसे में न लेना तानाशाह वाला रवैया दर्शाता है। बड़ा-बड़ा कोर सौध अधिकारियों को शिकायत करने वाली प्रवृत्ति अनादि कृत तौर पर पद की वीस और उसके इस्तेमाल जैसे कुछ अंधा तथ्य भी सामने आये हैं। सलाह पैदा यह होता है कि इस किस्म की स्थिति क्यों पैदा हुई और इसका समाधान क्या है?

भूमिका — भारत सरकार ने वर्ष 1992 में एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए महिलाओं को स्पैरल ब्रैस के अंतर्गत लडाकू सेना को सहभावा प्रदान करने वाली शाखाओं जैसे कि सल्लाई, आईसीन, शिफा, सिप्रल, न्याय प्रणाली, इंजीनियर, इंटीलीजें जैसे विभागों में शाट्स संसद कमिन्ड अधिकारियों के तौर पर सती कर्नी शुरू कर दी। वर्ष 1993 के प्रथम बैच में 25 महिला अधिकारियों ने



सशस्त्र सेनाओं में स्थायी कमिशन और पदोन्नति प्राप्त करने के उपरांत युनिट कमांड के साथ युद्ध के मैदान में भी उतरने की तैयारी है जोकि एक संवेदनशील मुद्दा है। अब तो महिलाओं के लिए आर्मी एग्रीवेशन, एयर डिफेंस और वनगमन में तोषाधना जोकि लडाकू सेना का हिस्सा है, उसने भी महिलाओं के लिए दरवाजे खोल दिए हैं। सेना में एक अधिकारी कर्नल रैंक तक पदोन्नति का हकदार तो हो सकता है मगर पल्टन की कमांड करने वाले मापदंड अलग होते हैं।

कमिशन प्राप्त किया। पिछले कुछ समय से सेना में महिलाओं की भूमिका को लेकर एक बहस छिड़ी हुई है। विषय तौर पर जब वर्ष 2003 में कुछ महिला अधिकारी यह मामला हाईकोर्ट में ले आई और उन्होंने यह बकालत की कि उन्हें पुरुष सैन्य अधिकारी, नर्स तथा मेडीकल ऑफिसरियों की तरह स्थायी कमिशन दिया जाए और सेना में मेधाव्य अव हो।

हाईकोर्ट ने उनकी दलील मंजूर कर ली। इस फैसले के उपरांत सेना ने वर्ष 2012 में सुप्रीमकोर्ट में एक हलकनामा दावर कर यह कहा कि सैदांतिक तौर पर सेना में महिलाओं की भागीदारी वाली बात अच्छी तो लगती है मगर वास्तविक रूप में यह अनुभव भारतीय सेना में सफल नहीं हुआ और हमारा समाज विषण्ण तौर पर युद्ध के दौरान महिलाओं को लडाकू कर पत्रा प्रभाव करने के लिए तैयार नहीं। खैर, सुप्रीमकोर्ट ने मार्च 2020 को मेधाव्य खल करने के नजरिये से हथियारबंद सेनाओं में महिलाओं को स्थायी कमिशन उपलब्ध 1 करवाने के साथ-साथ कमांड संरचना का रास्ता साफ करते हुए सरकार को आदेश दिया कि वह इस नियम को लागू करे।

जानकारी के अनुसार इस सैन्य सेना में 1740, पाय सेना में 1600, नौसेना में 530 और आर्मी मेडीकल कोर (ए.एम.सी.) में 6430 के करीब महिला अधिकारी हैं। वर्ष 2023 में 108 महिला शाट्स सविस् कमिन्ड अधिकारियों को लेफ्टिनेंट कल तक की पदोन्नति के तौर पर सती कर्नी के कुछ को यूनिट कमांड करने के लिए बना गया। अब जबकि जनरल राजीव पुरी ने अपनी कमांड के अंतर्गत 8 महिला सी.ओ. के बारे में

फीड बैक अपने शीर्ष अधिकारियों को दिया फिर मीडिया को और क्या चाहिए था? मीडिया को एक सैन्य मुद्दा भी मिल गया। वास्तव में एक राष्ट्रीय स्तर वाला टी.वी. चैनल तो 26 नवम्बर वाली सुधमन्ती को दी विधि के बारे में मेरा इंटरव्यू भी ले गया।

बाज वाली नजर — महिलाओं को सशस्त्र सेनाओं में स्थायी कमिशन और पदोन्नति प्राप्त करने के उपरांत युनिट कमांड के साथ युद्ध के मैदान में भी उतरने की तैयारी है जोकि एक संवेदनशील मुद्दा है। अब तो महिलाओं के लिए आर्मी एग्रीवेशन, एयर डिफेंस और वनगमन में तोषाधना जोकि लडाकू सेना का हिस्सा है, उसने भी महिलाओं के लिए दरवाजे खोल दिए हैं। सेना में एक अधिकारी कर्नल रैंक तक पदोन्नति का हकदार तो हो सकता है मगर पल्टन की कमांड करने वाले मापदंड अलग होते हैं।

पुरुष अधिकारी को कमांड सौंपने से पहले उसकी सख्त ट्रेनिंग, नौसेना, विभिन्न पदों पर दैनाती, पल्टनकमांडी की कमांड के समय उपलब्धता, सैकड़ों की गिनती में अधिकारियों और जवानों के अंदर तामयल कायम करके युद्ध के मैदान में नेतृत्व करने की क्षमता आदि होनी चाहिए। लेफ्टिनेंट और है. कि अब जबकि सैनिक स्खल और प. डी.ए. में एंटी के लिए लक्ष्मी को रस्ता सही हो गया तो यह बेहतर होगा कि अगर पुरुषों की तरह बिना किसी मेधाव्य से उनके लिए सड़क मापदंड तब तक करके पुरुषों की तरह ट्रेनिंग और योग्यता के आधार के अनुसार कमांड के लिय चला दिया जाए। —ब्रिगे. कुलदीप सिंह काहलॉ (रिटा.)

प्रकाशित।
सम्पादक दिनेश चन्द्र पाण्डेय
 प्रबन्ध सम्पादक-दिनेश सिंह
 संयुक्त सम्पादक-**प्रदीप चन्द्र पाण्डेय**
 अयोध्या-फैजाबाद कार्यालय-
 चतुर्थी मैदान परिसर लहम घाट
 अयोध्या-फैजाबाद
 लखनऊ कार्यालय-
 आशियाना चौक, एल.डी.ए. कालोनी,
 सेक्टर ४, कानपुर रोड लखनऊ।
 गोरखपुर कार्यालय-
 इलाहाबाद गोरखपुर-
 मो०९४५०५६७४५० ९३३६७१५०६,
 ईमेल**bhartiyabasti@yahoo.com**
bhartiyabasti@gmail.com